अति महत्वपूर्ण

संख्या– 726 /9–9–2022–101ज/17

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(3) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2022**

विषय–सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा स्थानीय निकायों में घर–घर पाइप्ड लाइन नेचुरल गैस (पी0एन0जी0) कनेक्शन वितरण हेतु भूमिगत पाइपलाइन डालने की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–760/नौ–9–18–101ज/17; दिनांक–30.05.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से अधिकृत कम्पनियों द्वारा स्थानीय निकायों में घर–घर पाइप्ड लाइन नेचुरल गैस (पी0एन0जी0) कनेक्शन वितरण हेतु भूमिगत पाइपलाइन डालने की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। पी0एन0जी0 कनेक्शन वितरण हेतु भूमिगत पाइपलाइन डालने में स्थानीय स्तर पर आ रही कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में हुई दिनांक–13.04.2022 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में मुख्यतः दो समस्यायें इंगित की गई, जो निम्नवत है :–

(i) प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों में गैस पाईप लाईन डालने हेतु अनुमति प्रदान करने में निकायों द्वारा विलम्ब किया जा रहा है।
(ii) प्रदेश के निकायों में गैस कम्पनियों द्वारा खुदाई एवं पुर्नस्थापन (Dig & Restore) की प्रकिया में कतिपय स्थानों पर खुदाई करने के पश्चात् उसका पुर्नस्थापन उचित प्रकार से नहीं किया जाता है एवं Restoration गुणवत्तापरक नहीं होता है।

2. अतः सन्दर्भित शासनादेश दिनांक–30.05.2018 के क्रम में इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गैस कम्पनियों द्वारा की गई खुदाई/कटिंग एवं पिट निर्माण स्थल पर मरम्मत (Restoration) का कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण करा दिया जाये तथा सम्पूर्ण Restoration कार्य को एक वर्ष तक Maintain किया जाये। कम्पनी द्वारा पाइपलाइन डालने एवं पिट निर्माण हेतु खुदाई किये गए स्थान पर Restoration कार्य सन्तोषजनक और गुणवत्तापरक पूर्ण कर देने पर बैंक गारण्टी रू0 5000/– उक्त एक वर्ष के पश्चात वापस कर दी जायेगी, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश

दिनांक–30.05.2018 के प्रस्तर–4 के उप प्रस्तर–(X) की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रदेश में कार्यरत गैस कम्पनियों द्वारा पाइपलाइन डालने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के निस्तारण की शासनादेश दिनांक–30.05.2018 द्वारा निर्धारित समय–सीमा (60 दिन) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जलं निगम, लखनऊ।
(3) अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
(7) वेबमास्टर नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
(8) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(मोहम्मद वासिफ)
अनु सचिव।

Pal GO@RV